संख्या : पीसीएच-बी-स्था-II- मार्गदर्शन- 18262-73
हिमाचल प्रदेश सरकार,
पंचायती राज विभाग।

****

प्रेषक:- निदेशक, पंचायती राज विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला-9.

सेवा मे,

समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी (जि०प०)-एवं-
अतिरिक्त उपायुक्त/अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी,
हिमाचल प्रदेश।

शिमला-9, दिनांक 13/06/2023

विषय:- तकनीकी सहायकों के वृतों के पुनर्गठन तथा स्थानान्तण संबन्धी मामले मे दिशानिर्देश।

महोदय/महोदया,

प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2020 के दौरान नवगठित ग्राम पंचायतों के लिए तकनीकी सहायक की श्रेणी के 124 नए पद सृजित करने उपरान्त विभागीय अधिसूचना क्रमशः दिनांक 12/07/2020 व 31/03/2023 के तहत प्रदेश की पंचायत समितियों के लिए तीन पंचायतों पर एक तकनीकी सहायक की दर से तकनीकी सहायक के पदों का आबंटन किया गया। जिसके दृष्टिगत संबन्धित पंचायत समिति के लिए तकनीकी सहायक की श्रेणी के आबंटित पदों के आधार पर पंचायत समिति के अधीन पड़ने वाली कुल ग्राम पंचायतों को बराबर भाग मे बांट कर तकनीकी सहायक के वृतों का पुनर्गठन किया जाना आपेक्षित है। जिसके दृष्टिगत मुझे आपको सूचित करने का निर्देश हुआ है कि संबन्धित जिला के अधीन पंचायत समितियों मे तकनीकी सहायकों के वृत अधिसूचित करने संबन्धी मामले मे शीघ्र आगामी कार्रवाई अमल मे लाई जाए। तकनीकी सहायकों के वृतों के गठन तथा भविष्य में उन्हें एक वृत से अन्य वृत के लिए स्थानान्तरित करने संबन्धी मामले मे निम्न प्रक्रिया अपनाई जाएगी :-

1. संबन्धित मुख्य कार्यकारी अधिकारी (पंचायत समिति) द्वारा पंचायत समिति के अधीन पड़ने वाली ग्राम पंचायतों की समीपता तथा भौगोलिक परिस्थितियों को मध्यनजर रखते हुए पंचायत समिति मे तकनीकी सहायक के आबंटित पदों के आधार पर तकनीकी सहायकों के वृतों के पुनर्गठन की प्रस्तावना तैयार कर संबन्धित जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को प्रस्तुत की जाएगी, जिन द्वारा संबन्धित जिला के अधीन पड़ने वाली पंचायत समितियों के लिए तकनीकी सहायक के वृत अधिसूचित कर, उसकी एक प्रति निदेशालय को प्रेषित की जाएगी। तकनीकी सहायक के वृतों के पुनर्गठन की प्रस्तावना तैयार करते समय संबन्धित मुख्य कार्यकारी अधिकारी (पंचायत समिति) द्वारा ग्राम पंचायतों की समीपता का कड़ाई से पालन किया जाएगा अर्थात किसी एक अमुक वृत के अधीन भौगोलिक दृष्टि से साथ-साथ लगने वाली ग्राम पंचायतों को ही सम्मिलित किया जाएगा तथा संबन्धित वृत का मुख्यालय वृत के अधीन पड़ने वाली विभिन्न पंचायतों में से किसी एक पंचायत जो संबन्धित पंचायतों के केन्द्र मे स्थित होगी, मे अधिसूचित किया जाएगा।
2. संबन्धित मुख्य कार्यकारी अधिकारी (जिला परिषद) जो जिला परिषद काडर मे तकनीकी सहायक की श्रेणी के पदों पर कार्यरत कर्मचारियों के नियुक्ति प्राधिकारी है द्वारा विभागीय अधिसूचना दिनांक 27/05/2020 में अंकित प्रावधानानुसार संबन्धित कर्मचारी के स्थानान्तरण आदेश जारी किए जाएंगे।
3. तकनीकी सहायकों की संबन्धित वृत मे तैनाती अथवा उनके स्थानान्तरण आदेशों के क्रियान्वित करते समय इस बात का कड़ाई से पालन किया जाए कि उनकी तैनाती उस वृत मे कदापि न की जाए, जिस वृत के अधीन संबन्धित तकनीकी सहायक की गृह ग्राम पंचायत पड़ती हो।
4. तकनीकी सहायकों के स्थानान्तरण प्रस्तावनाओं मे यदि कर्मचारी को किसी एक अमुक ग्राम पंचायत से किसी अन्य ग्राम पंचायत के लिए स्थानान्तरित करने की प्रस्तावना हो तो ऐसी प्रस्तावना का क्रियान्वयन करते समय तकनीकी सहायक के मौजूदा वृत मे फ़ेरबदल करने के बजाए उन्हें उस वृत जिसमें वह ग्राम पंचायत जहां से उन्हें स्थानान्तरित किया जाना

प्रस्तावित हो, मे अन्य वृत जिसके अधीन उनके स्थानान्तरण हेतु प्रस्तावित ग्राम पंचायत पड़ती हो, के लिए किया जाए। इस अवस्था मे तकनीकी सहायक का ठहराव किसी अमुक ग्राम पंचायत के बजाए संबन्धित वृत जिसमे वह कार्यरत है, का ही माना जाएगा।

5. यदि किसी पंचायत समिति मे कार्यरत तकनीकी सहायकों की संख्या उस पंचायत समिति में तकनीकी सहायक के स्वीकृत पदों से कम है तो ऐसी अवस्था में उन वृतों जहां पर तकनीकी सहायकों के पद रिक्त है की ग्राम पंचायतों का अतिरिक्त कार्यभार नजदीक के वृतों मे कार्यरत तकनीकी सहायकों को समान संख्या मे प्रदान किया जाए। इस प्रकार से आबंटित ग्राम पंचायतें उसी मूल वृत जिसके अधीन वह पड़ती है, का ही भाग होगी तथा उनकी गणना उस वृत मे नहीं की जाएगी जिस वृत मे कार्यरत तकनीकी सहायक को उस ग्राम पंचायत का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है।

भवदीय

(केवल शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक, पंचायती राज विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला-9.
दूरभाष संख्या: 2623805 (e-mail ID panchayatiraj-hp@ gov.in)

पृ0सं0:- उपरोक्त- 18274-18374 शिमला-171009 दिनांक 13-06-2023
प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. समस्त सचिव (जिला परिषद)-एवं-जिला पंचायत अधिकारी हिमाचल प्रदेश को सूचनार्थ।
2. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी (पंचायत समिति)-एवं-खण्ड विकास अधिकारी हिमाचल प्रदेश को सूचनार्थ।

अतिरिक्त निदेशक, पंचायती राज विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला-9.
दूरभाष संख्या: 2623805 (e-mail ID panchayatiraj-hp@ gov.in)